In The Court of Deputy Commissioner, Lohardaga

Schedule XIV Form No 562

ORDER SHEET

(See Rule 129 of the Record Manual 1941)

Nazrul Khan Vs Fattahur Rahman & Others

Order Sheet dated from .... To ....

Case No. 17/2020-21

Nature of the Case - Mutation revision under the Bihar (Jharkhand) Tenant's holding (Maintenance of Records) act, 1973 Section 16

Serial Number and date of order	Order and Signature of Officer	Note of action taken on order with date
1	2	3
5/7/2024		

यह दाखिल खारीज रिभिजन वाद संख्या 17/2020–21 नजरूल खान बनाम फताउर रहमान वगैरह, सरकार के अवर सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के पत्रांक 19/रा0प0 दिनांक 04.01.2023 द्वारा सदस्य बोर्ड ऑफ रेभेन्यु झारखण्ड में दायर वाद संख्या 10/2021–22 में दिनांक 16.07.2022 की पारित आदेश के आलोक में Remand होकर प्राप्त हुआ है।

उक्त आदेश के आलोक में पुनः वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस दिनांक 30.05.23 को सुना तथा लिखित बहस का अवलोकन किया।

वाद का सारांश है कि मौजा चण्डु थाना नं0 027 के निम्नांकित भूमि को अंचल अधिकारी, कुडू द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 263/2010–11 में दिनांक 10.10.2021 को पारित आदेश एवं ऑनलाईन किये जाने के विवाद को लेकर प्रारंभ हुआ है।

मौजा	थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
चण्डु	027	16	93	0.63
			254	0.66
			290	0.52
			332	0.61
			468	0.66
			527	0.12
			550	0.11
			563	0.72
			673	0.40

इस आदेश के विरूद्ध फताउर रहमान एवं अन्य ने अपील वाद संख्या 13/19–20 उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, लोहरदगा के न्यायालय में अपील दायर किया। अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्ष के पक्ष सुनने एवं दस्तावेज के आधार पर अपने आदेश दिनांक 21.07.21 द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 263/10–11 में दिनांक 10.10.2011 को विपक्षी नजरूल खान के नाम पर कायम जमाबंदी एवं ऑनलाईन को खारीज करते हएु पुनः संयुक्त जमाबंदी में सामिल करने का आदेश पारित किया तथा इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। पूर्व में विपक्षी के पिता ने आपसी बटवारा के आधार पर हाल सर्वे प्रक्रिया के क्रम में राजस्व वाद संख्या 06/82 एवं 09/82 दायर किया था जिसे राजस्व पदाधिकारी द्वारा खारीज करने के वाद इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील वाद संख्या 86/85 (कुडू) कैम्प दायर किया गया। जिसे पूर्ण विवेचना के उपरांत खारीज किया गया एवं रेकड ऑफ राईट का अन्तिम प्रकाशन संयुक्त खाता के रूप में करने का आदेश पारित किया गया एवं प्रकाशित हुआ।

इस दाखिल खारीज अपील वाद संख्या 13/19–20 में दिनांक 21.01.21 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के न्यायालय में प्रथम रिभिजन वाद संख्या 17/20–21 नजरूल खान बनाम फताउर रहमान वगैरह दायर किया गया।

दिनांक 09.02.2021 को ग्रहण करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर अपना–अपरा पक्ष रखने का निदेश दिया गया तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग किया गया, जो प्राप्त हुआ एवं अभिलेख के साथ संलग्न है।

इस मामले में दिनांक 09.04.21 को दोनों पक्ष के द्वारा कागजात दाखिल किया गया।

उपायुक्त, लोहरदगा के द्वारा प्रथम रिभिजन वाद संख्या 17/20–21 में दिनांक 28.05.21 को अपीलीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, कुडू द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 263/11–12 में दिनांक

10.10.11 को यथावत रखा गया।

उपायुक्त, लोहरदगा के द्वारा प्रथम रिभिजन वाद संख्या 17/21-22 में दिनांक 25.08.21 के आदेश के विरूद्ध फताउर रहमान एवं अन्य की ओर से माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के न्यायालय, लोहरदगा रिभिजन वाद संख्या 10/2021 नेजाम खान एवं अन्य दायर किया जिसे न्यायालय में दिनांक 16.12.22 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा के द्वारा प्रथम रिभिजन वाद संख्या 17/20-21 में दिनांक 28.05.21 को पारित आदेश को खारीज करते हुए रिमाण्ड किया गया एवं 5 माह के अन्दर निर्णय करने का आदेश जारी किया।

सरकार के अवर सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के पत्रांक 19/रा0प0 दिनांक 04.07.2023 द्वारा आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। इस पत्र के आलोक में नये सिरे से रिभिजन वाद संख्या 17/20-21 को प्रारंभ कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कार्रवाई प्रारंभ किया गया। दिनांक 30.05.23 को दोनों पक्ष को सुना तथा राजस्व पर्षद, झाराखण्ड रांची में लोहरदगा रिभिजन वाद संख्या 10/2021 में दिनांक 16.12.22 के आदेश का अवलोकन किया।

यह मामला अंचल अधिकारी, कुडू, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, लोहरदगा, उपायुक्त, लोहरदगा के स्तर से दाखिल खारीज वाद संख्या 263/2010, दिनांक 10.10.2011, 13/2019 दिनांक 21.01.21 एवं 17/2021 दिनांक 28.05.21 द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्णय लिया जा चुका है। उन्हीं तथ्यों को पुनः उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिसे मूल अभिलेख में देखा जा सकता है। लोहरदगा रिभिजन वाद संख्या 10/2021 के आदेश में मुख्य रूप से कंडिका 2 में उल्लेख किया है कि

The revision petition is related to the land under dispute relates to R.R.S. khata no. 16 (R.S. khata no. 5). The main dispute among the parties is that this is a joint property under R.R.S. khatiyan as published in 1988. The mutation authorites had not included all share holders during the proceeding and the genealogy was not properly ascertained. In sprit of R.R.S khatiyan the revisional authority and mother court had relied on R.S. khatiyan where

as the applellate authority had relied on R.R.S. khatiyan under which the land is being jointly held and there is no evidence that the division of the properties had been done after the publication of the R.R.S. khatiyan in 1988.

The findings of the board case is

(i) Re- revisional survey (RRS) had been notified in1988. The finding of this is binding on all parties and revenue court unless this is quashed by the competent court of civil jurisdiction.

(ii) Revisional court had relied on the possession and partition done in 1923. In view of RRS, this reliance can't be allowed. So, the order of revisional court is not sustainable. There are ruling eg. (2003 (2) JCR 134 (Jhr) A.F.AD. no. 162 of 1990 order dated 28.01.2003, Dwarika Sonar & Others Vs most. Bilguli & Others in which para 9 & 10 are reproduced.

"**Para- 9** As noticed above, the admitted facts is that the revisonal survey records of rights was finally published in year, 1966 and records of right in respect of the Suit property was published in the name of defendants. The question, therefore that falls for consideration is as to what will be the effect in law of that two different entries made in two different survey settlement of records of right, namely, cadastral survey and revisional survey records of right.

It is well settled that if there is conflict between two entries in the records of right then the latter records of right will prevail. A similar question arose before the supreme court in case of Sri Raja Durga Singh of Solon V. Tholu and Others. AIR 1963 SC 361 where their lordship held that where there is such conflict in two entries, it is the latter entry which must prevail. It was further observed that where new entry takes the place of the old one, there shall be presumption of correctness of the new entry until and unless it is establied to be wong or substituted by another entry.

Para-10

Beside the above section 84 (3) of the Chotanagpur Tenancy Act. provides that if records of right is finally published, it shall be a conclusive evidence that the record has been dully made according to

law. First question of law, therefore, is answered accordingly."

The order of revisional court will be covered by above ruling which is adequately proved that the order of DC- revisional court is not sustainable. The last published survey is final. The revisional court must had duly relied on the documents.

वर्त्तमान विपक्षी फताउर रहमान खान एवं अन्य के ओर से दाखिल लिखित बहस में कहा गया कि

राजस्व पर्षद झारखण्ड रांची के न्यायालय के बोर्ड केस संख्या 10/21 में पारित आदेश के अनुसार कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय हेतू रिमाण्ड किया गया है। राजस्व बोर्ड ऑफ रेभेन्यू ने भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, लोहरदगा के द्वारा दाखिल खारीज अपील वाद सं0 13/2019 में पारित आदेश ध्यान पूर्वक दृष्टिगत किया है। साथ ही हाल सर्वे खतियान के अन्तिम प्रकाशन जिसके अनुसार आर0आर0एस0 खाता नम्बर 16 वर्ष 1988 में तैयार हुआ है जो दोनों पक्ष के रैयत हिस्सेदार पर भारित है (binding) / स्थापित कानूनी सिद्धान्त जिसका प्रकाशन (1) JCR 2003 No. (2) Page 136 (JH) (ii) AIR 1963 P 361 (SC) का आदेश में उल्लेख है।

आगे कहते है कि सदस्य, राजस्व पर्षद ने इस बात पर भी दृष्टिगत किया कि राजस्व न्यायालय को स्वत्व विवाद के मामले में हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह मामला सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। इस लिए राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया आदेश गैर कानूनी तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जा कर किया गया निर्णय है।

इस संबंध में (1) JCR 2013 of (1) Page 698 (ii) JCSR 2002 of (1) Page 616 का अपने आदेश में उल्लेख किया है जिसमें रिभिजन न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को रद्द किया है। संयुक्त रैयतों जिनका नाम आर0आर0 एस0 खाता नं0 16 में आबिद खान एवं 19 का नाम से तैयार हुआ है।

R.R.S. Khata	Plat No.	Area
16	93	0.63 ए.
	254	0.66 ए.
	296	0.52 ए.
	332	0.61 ए.
	468	0.66 ए.
	527	0.12 ए.
	550	0.11 ए.
	563	0.72 ए.
	573	0.40 ए.
	3	0.20 ए.
	106	0.63 ए.
	123	0.62 ए.
	322	0.04 ए.

	342	0.36 ए.
	354	0.66 ए.
	290	0.52 ए.
	311	0.48 ए.
	332	0.61 ए.
	468	0.66 ए.
	469	0.29 ए.
	491	0.75 ए.
	496	0.22 ए.
	509	0.76 ए.
	527	0.12 ए.
	537	0.72 ए.
	541	0.08 ए.
	542	0.25 ए.
	544	0.25 ए.
	550	0.11 ए.
	663	0.73 ए.
	624	0.36 ए.
	673	0.40 ए.
	241	0.30 ए.
	120	0.34 ए.

आगे कहते है कि मौजिम खान वर्त्तमान विपक्षी के पिता ने अपने जीवनकाल में दो मुकदमा 6/1982 एवं 9/1982 सर्वे सहायक बन्दोस्त पदाधिकारी कैम्प लोहरदगा के न्यायालय में दायर कर संयुक्त खाता 16 से अलग उनका खाता खोलने का अनुरोध किया था एवं अपने दावे के समर्थन में अनेकों दस्तावेज समर्पित किया लेकिन इन सभी को गैर कानूनी तथा मुस्लिम कानून के खिलाफ मानते हुए एक Common Judgment इन दोनों वाद में मौजिम खान के विरूद्ध में पारित किया तथा निम्नांकित संयुक्त खाता की भूमि की Separate khata खोलने से इनकार किया गया।

R.R.S. Khata	Plat No.	Area
16	93	0.63 ए.
	254	0.66 ए.
	290	0.52 ए.
	332	0.61ए.
	468	0.66 ए.
	527	0.12 ए.
	550	0.11 ए.
	563	0.72 ए.
	673	0.40 ए.

इस आदेश के विरूद्ध नजरूल खान एवं उनके माता ने रिभिजन अपील नं0 86/1985 चार्ज ऑफिसर सर्वे सेटलमेंट रांची के न्यायालय में दायर किया जो दिनांक 04.12.1993 को खारीज हुआ।

राजस्व वाद खारीज होने के बावजूद नजरूल खान ने उत्तराधिकारी

नामान्तरण के लिए अंचल अधिकारी, कुडू के न्यायालय में दाखिल खारीज वाद संख्या 263/10–11 दायर किया जिसमें राजस्व वाद के खारीज होने की जानकारी न्यायालय से छुपाया गया तथा अन्य हिस्सेदारों को कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया और online separate demand/Register-II निम्नांकित भूमि का upload किया गया। जो निम्न प्रकार है :–

R.R.S. Khata	Plat No.	Area
16	93	0.63 ए.
	254	0.66 ए.
	290	0.52 ए.
	332	0.61ए.
	468	0.66 ए.
	527	0.12 ए.
	550	0.11 ए.
	563	0.72 ए.
	673	0.28½ ए.
		4.31½ ए.

आगे कहते है कि इनके द्वारा मिटिंग कर अंजुमन से कागजात तैयार कर अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर से जाली दस्तावेज तैयार किया जिसके विरूद्ध में आयुक्त के न्यायालय में वाद लंबित है। अमीर खान एवं गुलेमान खान उपस्थित हुए है तथा समझौता आवेदन दिया है। बोर्ड ऑफ रेभ्मेन्यू ने अंजुमन को सक्षम प्राधिकार नहीं माना है।

आगे कहते है कि हाल सर्वे खतियान का अन्तिम प्रकाशन आर0आर0एस0 खाता नं0 16 का संयुक्त हिस्सेदारों के रूप में प्रकाशित होने तथा संयुक्त हिस्सेदारों के नाम से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 85 के तहत संयुक्त मांग पंजी–।। में ऑनलाईन खुला।

इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए ऑनलाईन जमाबंदी नजरूल खान के नाम खोलने का आदेश अंचल अधिकारी, कुडू द्वारा किया गया जो गैर कानूनी है।

इस लिए दाखिल खारीज अपील वाद संख्या 13/2019 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश को न्यायहीत में Restore करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी/उत्तरावादी की ओर से दाखिल कागजात

1	बोर्ड केस 10/2021 में दिनांक 16.12.22 का आदेश की प्रति	6 Sheet
2	उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार द्वारा दाखिल खारीज अपील13/19–20 का आदेश की प्रति	6 Sheet
3	उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा रिभिजन वाद संख्या 17/20–21 में दिनों 28.05.21 का आदेश की प्रति	7 Sheet
4	हाल सर्वे खतियान खाता नं0 16 की प्रति	2 Sheet
5	विविध वाद संख्या 6 (कुडू)/1982 की आदेश की प्रति	20 Sheet
6	प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व रांची के रिभिजन अपील वाद संख्या 86/85 की प्रति	1 Sheet
7	हाल खाता 16 का ऑनलाईन खतियान/रसीद की प्रति	2 Sheet
8	JCR 2013 (1) Page 692	
9	JLCR 2003 of (3) Page 128 (SC)	
10	JLCR 2008 of (3) Page 184	
11	BBCJ 1997 Page 575	
12	JCR 2003 V of Page 134	

प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता नजरूल खान की ओर से लिखित जबाब एवं बहस बिन्दुवार दाखिल किया जाता है :–

1. यह कि उपर्युक्त रिवीजन वाद श्रीमान के न्यायालय से दिनांक 28.05.2021 को प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता के पक्ष में वाद संख्या 17/2021 में आदेश पारित हो चुका है।
2. 1932 खतियान के आर0एस0 खाता नं0 05 आमीर खां वल्द मकु खां एक हिस्सा एवं गुलेमान खां पिता जाफर खां व इरशाद खां वगैरह के नाम है।
3. सुलेमान खां कौम पठान एक हिस्सा व हिस्सा बराबर दर्ज है। जिसमें प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता के पिता मौजीम खां को मौजा चण्डू के साबिक खाता नं0 05 थाना नं0 27 प्लाट नं0 269 रकबा 63 डी0, साबित प्लाट नं0 470 रकबा 68 डी0 साबिक प्लाट नं0 132 रकबा 68 1/2 डी0 साबिक प्लाट नं0 554 रकबा 33 1/2 डी0 साबिक प्लाट नं0 403 रकबा 83 डी0 साबिक प्लाट नं0 198 रकबा 52 डी0 साबिक प्लाट नं0 455 रकबा 72 डी0 साबिक प्लाट नं0 446 रकबा 69 1/2 डी0 कुल रकबा 5.09 एकड़ जमीन प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता के पिता मौजीम खान उर्फ मौजम खान का बंटवारा केवाला संख्या 264 दिनांक 23.01.1976 के आधार पर प्राप्त है।

4. 1932 खतियान के खाता नं0 05 में कुल 110 प्लाट है जिसमें 57 प्लाट के रकबा 41.50 एकड़ में कॉलम 17 के मुताबिक विपक्षी के खतियानी रैयत आमीर खां के वंशज को मिला।

इसी तरह शेष 53 प्लाट रकबा 37.00 एकड़ गुलेमान व इरशाद खां को हिस्से में मिला।

5. आमीर खान के पहली पत्नी से 7 पुत्र हुए तथा दुसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए जिसका वंशावली निम्नलिखित है :–

<u>दोनों फरीकैन का वंशावली निम्न प्रकार है</u>

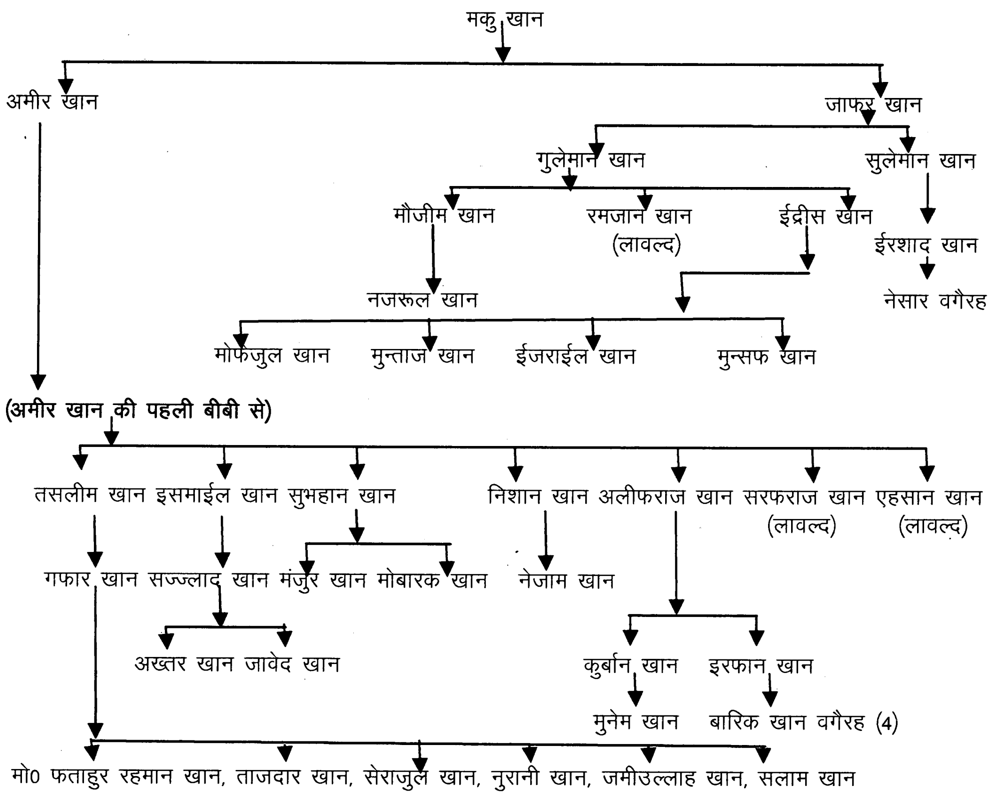

<u>अमीर खान की दुसरी बीबी से</u>

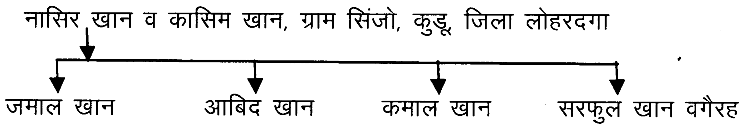

6. सातो पुत्र अपने–अपने जमीन के हिस्सेदारी व दखल में आये और अपना–अपना जमीन का खरीद बिक्री कर अपना–अपना जीवन यापन करने लगे।

इसी क्रम में अमीर खान के वंशज द्वारा निम्नलिखित बिक्री पट्टा सम्पादित किया गया।

1. नासीर खान पिता आमीर खां द्वारा हकीम मो0 कासीम वल्द मो0 अब्दुल शाह एवं शौकत हुसैन वल्द मौलबी नेजावत हुसैन को खाता 05 के प्लाट नं0 445 रकबा 35 डी0 से बजरिय बिक्री पट्टा 2174 दिनांक 26.10.1964 को लिया गया था जिसका दाखिल खारीज कुडू अंचल द्वारा 164/75–76 दिनांक 30.07.1976 को हुआ जिसका हाल सर्वे खतियान खाता 161 हाल प्लाट 471, 445 शौकत हुसैन के नाम से बना ऑनलाईन पंजी–।। शौकत हुसैन के नाम से हुआ।
2. विपक्षी खतियानी अमीर खां पिता मकु खां की पहली पत्नी व दुसरी पत्नी के पुत्रों में सादा पारिवारिक बंटवारा अब्दुल गफार खां, जमाल खां, सरफुल खां, समसुल खां तीनों पिता नासीर खां आबिद खां कमाल खां दोनों पिता कासीम खां 7 अब्दुल सजाद खां वल्द इस्माईल खां 8 नेजाम खां वल्द निशान खां, 9 कुर्बान खां, 10 इरफान खां दोनों पिता अली फराज खां, 11 मंजुर खां, 12 मोबारक खां दोनों पिता सुभान खां के साथ हुआ जिसमें शिडयुल मुताबिक अपना अपना हिस्सा में विपक्षी आये जिसमें खाता नं0 16 प्लाट नं0 472, 473 पुराना खाता नं0 05 का प्लाट नं0 445 का रकबा भी आता है जो शिडयूल ई में वर्णित है।

   इसी तरह शिडयुल ई में वर्णित खाता 16 का प्लाट नं0 07 नेजाम खां के हिस्से में मिला/इसी तरह शिडयुल जी मंजुर खां को हाल खाता 16 में 496, 491, 437 एवं 438 का हिस्सा जो टंकित सादा बंटवारा दिनांक 23.06.2000 ई0 का है।

7. विपक्षी के तसलीम खान पिता आमीर खान की पत्नी सहीमन के नाम से रजिस्ट्री बिक्री पट्टा 47 दिनांक 13.01.1944 को किया गया।
8. इसी तरह अब्दुल सजाद खां पिता इस्माईल खां के द्वारा बिक्री पट्टा नं0 242 दिनांक 04.02.1950 ई0 को हासील एहसानुल हक को हासील हुआ जिसके बाद उनके 6 अन्य भाईयों एवं उनके लड़के जमीन का दखल में आये तत्पश्चात जमीन बजरिये बिक्री पट्टा 1303 दिनांक 13.06.2007 को विपक्षी मो0 फताहुर रहमान खां को हाल खाता 16 का प्लाट नं0 472, 473 में 12 डी0 खरीदगी मिला।

9. इसी तरीके से बीबी मनीरन जौजे इस्माईल खां व सजाद खां वल्द इस्माईल खां द्वारा मियांजान अली खान के नाम 56 डी0 प्लाट नं0 444 को रजिस्ट्री बिक्री पट्टा संख्या 2432 दिनांक 12.06.1970 को किया गया जिसका दाखिल खारीज नं0 31/81–82 मीयाजान अली खां के नाम से हुआ।

10. इसी तरीके से खतियानी रैयत अमीर खां वल्द मकु खां द्वारा बीबी इमामन ज़ौजे निशान खान को खाता नं0 05 का 4.92 ए0 जमीन बिक्री लिखा गया बिक्री सन् 1944 ई0 में लिखा गया था।

11. इसी तरीके से खतियानी रैयत अमीर खां वल्द मकु खां अपने बेटा मौलबी एहसानुल हक के नाम से 2.46 ए0 जमीन 1950 ई0 को बिक्री लिखा गया।

12. इसी तरह विपक्षी रैयत अमीर खान के पुत्र अलीफराज खां के द्वारा बीबी सहीदा को 32 डी0 बिक्री पट्टा नं0 222 दिनांक 17.01.1969 को किया गया था।

13. इसी तरीके से अन्य जमीन को समय–समय पर अपने पुत्रों को खतियानी रैयत बिक्री किये है तथा बिक्री पश्चात एवं खतियान के मुताविक खाता 16 प्लाट नं0 93, 254, 290, 332, 468, 527, 550, 563, 673 कुल रकबा 4.01 ए0 जमीन का दाखिल खारीज म्युटेशन पट्टा नं0 263/10–11 प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता नजरूल खान के नाम संधारित हुआ जो मौजीम खान पिता गुलेमान खान के साबिक खाता 5 के हिस्से की जमीन है।

14. इसी तरह अहमुद्दीन अंसारी पिता स्व0 इब्राहीम अंसारी के नाम खाता 16 प्लाट 673 रकबा 5 डी0 म्युटेशन केस नं0 263/11–12 से इब्राहीम अंसारी के बेटा अजमुदीन अंसारी के नाम से संधारित हुआ है।

रमजान खान पिता गुलेमान खान के साबिक खाता 5 का हाल खाता 16 प्लाट नं0 627 रकबा 38 डी0 सेख इब्राहीम पिता सेख सफरअली के नाम से दाखिल खारीज वाद संख्या 83/83–84 में पंजी–।। में संधारित हुआ इसी के साथ साथ अलेहा खातुन पति खुर्शीद खान के खाता नं0 16 प्लाट नं0 241 रकबा 5 डी0 हीना फिरदौस के नाम से प्लाट नं0 241 रकबा 4 डी0 म्युटेशन केस नं0 55/14–15

	अबुशमा अंसारी के नाम से खाता 16 प्लाट 241 रकबा 5 डी0 म्युटेशन केस नं0 82/15–16 पंजी–।। में संधारित हुआ इसी तरह इद्रीश खान पिता गुलेमान खान के हिस्से की जमीन हाल खाता 16 प्लाट नं0 3, 52, 106, 509, 241, 541, 542, 544 कुल रकबा 2.51 1/2 ए0 मुफैजुल खान मुमताज खान, इजराइल खान, मुनसफ खान सभी पिता इदरीश खान के नाम से म्यूटेशन केस नं0 257/81–82 में मो0 सीद्दीक खान के नाम से खाता 16 का हाल प्लाट 544 म्युटेशन केस नं0 146/15–16 तथा मो0 इस्लाम पिता मो0 रमजान के नाम से हाल खाता 16 का प्लाट नं0 541 म्युटेशन केस नं0 486/11–12 और हाल खाता 544 बिक्री पश्चात श्रीमती बसन्ती देवी के नाम से दाखिल खारीज केस नं0 80/20–21 बना। 15. उपर्युक्त हिस्सेदारों के द्वारा कई लोगों को बिक्री किये जाने के बाद उनके नाम से दाखिल खारीज होना तथा हाल खाता 16 का खतियान आबीद खां वगैरह के नाम से प्रकाशित होना यह दर्शाता है कि सभी खतियानी रैयत के वंशजो का आपसी बंटवारा हो चुका है जिसके बाद पंजी–।। में नाम अलग अलग चढ़ा है। 16. यह ध्यान देने योग्य है कि जब विपक्षी अमीर खां के वंशज है खाता 16 में प्लाट नं0 468, 242, 03, 491, 496 अजीम खान विपक्षी के भाई इमाम नुरानी माजीर अंसारी, ताहेरा खातुन, इसहाक अंसारी, समीना खातुन के नाम से दाखिल खारीज हो कर पंजी–।। संधारित हुआ। 17. प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता के नाम से हाल खाता 16 प्लाट नं0 93, 254, 290, 332, 468, 527, 550, 563, 673 कुल रकबा 4.31 1/2 ए0 दिनांक 17.07.20 को जमाबन्दी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसी तरह खाता 105 प्लाट नं0 525, 306, 674, 279, 565, 492, 493, 577, 578, 500 कुल रकबा 3.31 1/2 ए0 नजरूल खां पिता मोजीम खां के नाम से जमाबन्दी प्रमाण पत्र 17.07.20 को निर्गत हुआ। 18. पूर्व में बंटवारा के आधार में विपक्षी के पिता मोजीम खां के नाम से खाता नं. 05 रकबा 5.09 ए0 जमीन का दाखिल खारीज केस नं. 259/82–83, 258/82–83, 45/82–83, 257/81–82 दिनांक 28.03.1982 को एवं 45/82–83 दिनांक 12.06.1982 को बिक्री बीबी आयशा	

जौजे मौजीम खां के नाम से दाखिल खारीज हुआ इन सभी का अन्तरण अपीलकर्त्ता के पिता मौजीम खां के नाम से पंजी–।। में संधारित होने में विपक्षी कभी भी किसी न्यायालय या अंचलाधिकारी, कुडू के यहां कोई अपनी व्यक्त किये और न ही कोई मुकदमा लंबित था।

19. इसी तरह विपक्षी मो0 फताहुर रहमान खां पिता अब्दुल गफार खां के नाम से खाता नं0 05 का हाल खाता 16 साबिक प्लाट 445 हाल प्लाट 472, 473 रकबा 20 डी0, 12 डी0 एवं 08 डी0 दिनांक 05.02.2009 को दाखिल खारीज वाद संख्या 139, 140 एवं 141 वर्ष 2008–09 को पंजी–।। में संधारित हुआ एवं 05.02.2009 को साबिक खाता 05 का हाल खाता 16 साबिक प्लाट नं0 445/472 एवं 473 हाल का बिक्री पट्टा 1303 दिनांक 13.06.2007 को विपक्षी के नाम से हुआ। इसी तरह दाखिल खारीज वाद संख्या 141/2008–09 का साबिक खाता 5/16 हाल साबिक प्लाट 445/473 बिक्री पट्टा नं0 821 दिनांक 24.03.08 एवं दाखिल खारीज 134/2008–09 साबिक खाता 5/16 हाल साबिक प्लाट 445 बिक्री पट्टा 2358 दिनांक 03.12.2006 को विपक्षी के नाम से बना तथा पंजी–।। विपक्षी के नाम से संधारित हुआ जो खाता 5 के खतियानी रैयत आमीर खां के वंशजो का था। जिसमें यह देखा जा सकता है कि अमीर खान का पुत्र तसलिम खां का पुत्र अब्दुल गफार खां के बाद उनके पुत्र मो0 फताहुर रहमान खान विपक्षी के नाम से पंजी–।। बना अमीर खां के पुत्र सुभान खां के हिस्से की जमीन सज्जाद खां पिता इस्माईल खां के हिस्से की जमीन कुर्बान खां के पिता अलीफराज के हिस्से की जमीन तथा आबीद खां के हिस्से की जमीन को समय समय पर हस्तांतरित किया गया अमीर खां का पुत्र नाजीर खां का पुत्र जमाल खां के द्वारा विपक्षी इमाम नूरानी को भी हस्तांतरित किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुविधा अनुसार खाता 5/16 के खतियान रैयत के वंशज अपना अपना हिस्सेदारी के अनुसार जमीन खरीद बिक्री करते रहे हैं।

20. यह तथ्य गौर करने योग्य है कि दिनांक 16.07.2000 को सभी हिस्सेदार अपने जमीन विवाद का निपटारा अंजुमन इस्लामियां में कर लिये थे जिसमें अब्दुल गफार खां एवं विपक्षी भी मौजुद थे तथा मौजीम खान,

	रमजान खां एव इदरीश खां बीबी आयशा व बीबी समसुन के बीच जमीन का निबंधित बंटवारा पट्टा 11.31 1/2 डी0 का दिनांक 28.01. 1976 को हुआ जिसमें खाता नं0 05 का रकबा 5.09 ए0 जमीन मौजीम खान व उनकी पत्नी बीबी आयशा को हिस्सेदारी में मिला इसी तरीके से रममान खां को 3.10 1/2 ए0 तथा इदरीश खां को 3.12 ए0 जमीन मिला लेकिन इस बंटवारा के खिलाफ कहीं भी विपक्षी नहीं गये। इसी तरह बीबी सायरा खातुन पिता गुलेमान खान पति वजीर खान द्वारा मोजीम खां पिता गुलेमान खां के नाम से 1.39 1/2 ए0 जमीन खाता नं0 05 प्लाट नं0 211, 421, 161, 555 जमीन दिनांक 10.03.76 को बिक्री किय गया। जो बख्सीस नामा डीड दिनांक 28.06.75 पट्टा नं0 3169 से बिक्रेता को हासिल था। इसी तरह इरसाद खां पिता सुलेमान खां द्वारा मोजीम खां के नाम से 18 डी0 खाता 05 प्लाट नं0 555 आपसी बंटवारा मुताबिक डीड नं0 3299 दिनांक 05.07.75 को बिक्री किया गया जिसका दाखिल खारीज मोजीम खां के नाम से हुआ। 21. मोजीम खां की मृत्यु के बाद उनका एकमात्र पुत्र नजरूल खां के नाम से खाता नं0 05 का प्लाट नं0 269, 470, 132, 554, 403, 198, 455, 446, 211, 421, 161, 555, 413, 454, 484, 485, 434, 435, 418 कुल रकबा 9.3 1/2 ए0 जमीन का दाखिल खारीज उत्तराधिकारी के आधार पर दिनांक 10.10.2017 को किया गया इसी के साथ आप हिस्सेदार इरसाद खां पिता सुलेमान खां का नाम खाता 24 कुल रकबा 11.01 ए0 का बना। 22. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत विविध न्यायिक वाद संख्या 08/कुडू/1982 रांची द्वारा मोजीम खां बनाम मंजुर खां के मुकदमा में साबिक खाता 5 के हाल खाता 108 में मंजूर खां पिता सुमान खां दर्ज था जिसमें साबिक प्लाट नं0 403 का खाता मोजीम खां के नाम बनना चाहिए था में इसी बंटवारा रजिस्ट्री संख्या 260 दिनांक 1976 के आधार पर 5.09 ए0 जमीन का दाखिल खारीज का कागजात देखते हुए वर्त्तमान कानूनगो द्वारा स्थल जांच किया गया जिसमें हाल खाता 255 मोजिम खां के दखल में पाया गया तथा आवेदन को 27.03.1985 को स्वीकृत कर लिया गया। इसी तरह	

न्यायालय द्वारा सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 89 के अन्तर्गत साबिक खाता 5 साबिक प्लाट नं0 418 का हाल प्लाट नं0 521 आयशा बीबी के नाम बनना चाहिए था कि खिलाफ आबिद खान के द्वारा मुकदमा में कानूनगो द्वारा स्थल जांच के बाद प्लॉट नं0 521 में सुधार करने का आदेश दिनांक 28.11.1984 को मिला। आगे अपने लिखित बहस में अन्य बातें अंकित है, जिसे उनके जबाब में देखा जा सकता है।

आगे कहते है कि अमीर खान के वंशजों के हिस्से पर गुलेमान खान के वंशज नजरूल खान पिता मोजिम खान वो रमजान खान वो इदरीश खान का कोई हक हिस्सा नहीं है।

हाल सर्वे में जो गलती से दर्ज हो गया है उस पर किसी का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फताउर रहमान खान द्वारा हाल खाता 16 को संयुक्त बताते हुए बिना वजह परेशान किया जा रहा है।

आगे कहते है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश गलत है जब प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता के दाखिल खारीज वाद संख्या 263/11–12 दिनांक 10.11.2011 को किया गया। जिसके खिलाफ विपक्षी द्वारा दिनांक 08.07.2019 को अंचल अधिकारी, कुडू द्वारा प्रथम पक्ष/अपीलकर्त्ता नजरूल खान के उत्तराधिकारी दाखिल खारीज का सही मानते हुए खारीज कर दिया गया।

यह स्वयं में काल बाधित है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश न्यायोचित है।

उपरोक्त कागजातों तथा तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के पारित आदेश का रद्द करतें हुए रिभिजन वाद में पारित आदेश को स्वीकार करने तथा अंचल अधिकारी के म्यूटेशन को यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल कागजात

1. 1932 खतियान के खाता नं0 5 की छायाप्रति एवं – 2 पेज
2. 1932 खतियान के खाता नं0 5 के आधार पर वंशावली की छायाप्रति – 1 पेज
3. बिक्री पटटा दिनांक 26.10.1964 पटटा संख्या 2174 की छायाप्रति – 2 पेज
4. अंचल पदाधिकारी कुडू द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 164 आर 27/75–76 दिनांक 30.07.1976 की आदेश की छायाप्रति। – 1 पेज
5. खाता 05 प्लाट 445 मौलबी नेजावत हुसैन के नाम से स्वीकृत दाखिल खारीज का छायाप्रति। – – 1 पेज

6. हाल खाता 161 प्लाट 471 का ऑनलाईन खतियान एवं पंजी–।। का रसीद ऑनलाईन कम्प्यूटराज की छायाप्रति। – – 2 पेज
7. पारिवारिक बंटवारा पटटा 2000 ई0 की छायाप्रति।– – 5 पेज
8. पारिवारिक बंटवारा पटटा दिनांक 23.06.2000 की छायाप्रति। – 7 पेज
9. बिक्री पटटा संख्या 47 दिनांक 13.01.1944 की छायाप्रति। – 2 पेज
10. बिक्री पटटा संख्या 1303 दिनांक 13.06.2007 की छायाप्रति। – 6 पेज
11. बिक्री पटटा, पटटा संख्या 2432 दिनांक 12.06.1970 की छायाप्रति। – 3 पेज
12. खाता नं0 05 प्लाट नं0 444 दाखिल खारीज केस नं0 31/81–82 मियांजान अली खॉ पिता कासीम अली खॉ के नाम से स्वीकृत करेक्शन स्लिप की छायाप्रति – 1 पेज
13. बिक्री पटटा संख्या 82 दिनांक 13.01.1944 की छायाप्रति। – 3 पेज
14. बिक्री पटटा संख्या 242 दिनांक 04.02.1950 की छायाप्रति। – 3 पेज
15. बिक्री पटटा संख्या 85 दिनांक 13.01.1944 की सर्टिफाईड कॉपी की छायाप्रति। – 3 पेज
16. बिक्री पटटा संख्या 222 दिनांक 17.01.1969 की छायाप्रति। – 3 पेज
17. बिक्री पटटा की छायाप्रति दिनांक 16.01.1963 – 3 पेज
18. बिक्री पटटा 20.01.1969 की छायाप्रति। – 4 पेज
19. बिक्री पटटा दिनांक 13.01.1944 पटटा संख्या 83 की छायाप्रति। – 4 पेज
20. विपक्षी के वंशज गुलेमान खॉ वगैरह के नाम से खाता 5 का 1932 खतियान का छायाप्रति। – 13 पेज
21. खतियानी रैयत का हस्तलिखित वंशावली। – 1 पेज
22. सी0एन0टी0एक्ट की धारा 86 वाद संख्या 08/कुडू 1982 का 27.03.1985 का स्वीकृति आदेश की छायाप्रति। – 4 पेज
23. 16.07.2000 का अंजुमन इस्लामियाँ बैठक में समझौता होने के हस्तलिखित का छायाप्रति। – 1 पेज
24. आपसी व्यवस्था अपना–अपना बंटवारा खाता 5/16 नया का विपक्षी द्वारा हस्तलिखित कागज। – 1 पेज
25. 28.01.1976 का बंटवारा मोजीम खान वगैरह का। – 7 पेज
26. दाखिल खारीज मोजीम खॉ के नाम से वाद संख्या 259/81–82 दिनांक 25.03.1982 का छायाप्रति। – 1 पेज
27. 5.09 एकड़ मौजीम खॉ के नाम से लगान रसीद – 1 पेज
28. ऑनलाईन पंजी–।। नजरूल खॉ के नाम से एवं ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति – 3 पेज
29. बिक्री पटटा 837 दिनांक 10.03.76 का छायाप्रति। – 3 पेज
30. दाखिल खारीज वाद संख्या 257/28.03.1982 का छायाप्रति। – 1 पेज
31. मोजीम खॉ के नाम 18.85 एकड़ लगान रसीद की छायाप्रति। – 1 पेज
32. निबंधित बिक्री पटटा 3299 मोजीम खॉ के नाम से । – 2 पेज
33. मोजीम खॉ के नाम से दाखिल खारीज रसीद। – 2 पेज
34. नजरूल खॉ के ऑनलाईन दाखिल खारीज वाद संख्या 263/11–12 दिनांक 10.10.11 की छायाप्रति। – 1 पेज
35. नजरूल खॉ के हस्तलिखित एवं ऑनलाईन लगान रसीद पंजी–।। वो ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति। – 3 पेज
36. हाल सर्वे खतियान खाता 24 इरसाद खॉ नाम से खतियान की छायाप्रति। – 3 पेज
37. ऑनलाईन रसीद खाता 24 इरसाद खॉ नाम से खतियान की छायाप्रति। – 1 पेज
38. अंचलाधिकारी कुडू द्वारा विविध वाद संख्या 01/19–20 का जांच प्रतिवेदन

एवं आदेश की छायाप्रति। – 3 पेज

39. अंचलाधिकारी कुडू द्वारा दा0ख0 वाद संख्या 263/11–12 का दाखिल खारीज की छायाप्रति दिनांक 19.09.11 – 6 पेज

40. ऑनलाईन पंजह–।। खाता नं0 16 मौजीम खॉ रमजान खॉ व इदरीश खॉ के नाम से दर्ज की छायाप्रति। – 11 पेज

41. अपीलकर्तागण के हाल खाता 16 में संधारीत पंजी–।। सभी रैयतो का छायाप्रति। – 13 पेज

42. हाल सर्वे खयितान सटीफाईड कापी। – 2 पेज

43. अपीलकर्ता मो0 फताईुरहमान खान वो नुरानी खान वो ताजदार खान पिता गफार खान एवं तहेरा खातुन पिता कुर्बान के नाम हाल खाता 16 में दा0खा0 139,140,141/2008–09 का अंचल द्वारा नकल का कापी पंजी–।। सटीपाईड कोपी। – 13 पेज

44. 1932 के खाता 5 खतियान में बंटवारा के मोताबिक अमीर खान के 6 पुत्रों के नाम दा0 खा0 वाद संख्या 3:27/1960,61 का अंचल द्वारा नकल का छाया कापी पंजी ॥ के साथ – 2 पेज

45. आर.एस. खाता 5, 1932 के खतियान में दर्ज अलग–अलग कबजोवारी के मोताबिक कुल खाता 5 में प्लाट कि संख्या 110 में किसके कबजे में कितना प्लोट वो रकबा का मिलान कम्पूटराईज कागज में तैयार किया गया अमीर खान वे गुलेमान खान। – 2 पेज

46. अमीर खान के वंसजों में बंटवारा को लेकर केश नं0 15/96 चला था का आदेश का छाया कोपी। – 3 पेज

47. डी0सी0सल0आर0 का आदेश का छायाप्रति। – 3 पेज

48. न्यायालय उपायुक्त लोहरदगा का आदेश का छायाप्रति। – 6 पेज

49. अंचल कुडू द्वारा नजरूल खान के नाम हाल खाता 16 में से 4.31 1/2 डी0 का जमाबंदी प्रमाण पत्र का छायाप्रति। – 1 पेज

50. शपथ पत्र की छायाप्रति। – 3 पेज

<u>माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा दिनांक 16.12.2022 को पारित आदेश</u>

न्यायालय, सदस्य, बोर्ड ऑफ रेभेन्यू में दायर रिभिजन (लोहरदगा) केस नं0 10/21 में दिनांक 16.12.2022 को पारित आदेश नेजाम खां, जिसके अनुसार उपायुक्त, लोहरदगा के द्वारा रिभिजन वाद संख्या 17/20–21 नजरूल खान बनाम फताउर रहमान खान वगैरह में पारित आदेश कि The revenue authorities are duty bound to obey the above mentioned rulings as mentioned in Para 3 (ii) 4 and 5. So in view of above facts the order passed by DC, Lohardaga revisional court is quashed hereby and the matter is remanded to DC, Lohardaga to hear it afresh and decided the matter accordingly within 5 months on/before 31.05.2023 के आधार पर कार्रवाई की गयी।

निष्कर्ष

दोनों पक्षों की ओर से दाखिल लिखित बहस/कागजात निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा राजस्व पर्षद के द्वारा दिये गये निदेश/आदेश के अवलोकन के उपरान्त निम्न निष्कर्ष उभर कर आते हैं।

इस मामले में निम्न अपीलीय न्यायालय/उपायुक्त, लोहरदगा के न्यायालय एवं राजस्व पर्षद न्यायालय के आदेश में बहुत सारी तथ्यों का जिक्र हुआ है। बार–बार उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता है।

(1) विचारणीय विन्दु यह है कि क्या राजस्व न्यायालय का निर्णय जिसे सक्षम न्यायालय के सूट के आदेश के समकक्ष माना गया है। वर्त्तमान प्रथम पक्ष नजरूल खान पिता के द्वारा दायर सर्वे प्रक्रिया के दौरान राजस्व वाद 06/82 एवं 09/82 तथा रिभिजन अपील 86/85 (कुडू) में लिये गये विस्तृत निर्णय के उपरान्त हाल सर्वे खतियान में संयुक्त हिस्सेदारों के नाम से खाता संख्या 16 का Record of right का अन्तिम प्रकाशन होने एवं CNT Act की धारा 85 के तहत संयुक्त मांग (Demand) पंजी–II में खोले जाने बावजूद निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, कुडू के द्वारा मौजा चण्डु के निम्नांकित भूमि का SEPARATE ONLINE DEMAND नजरूल खान के नाम से कायम करना उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है या नहीं ?

(2) प्रथम पक्ष नजरूल खान का दावा है कि इनके द्वारा उत्तराधिकारी दाखिल खारीज का आधार बंटवारा डीड 264 दिनांक 23.01.1976 का उल्लेख किया गया है। उत्तराधिकारी नामान्तरण कानून के दायरे रहकर निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, कुडू द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 263/11–12 में किया गया है। सदस्य बोर्ड ऑफ रेभेन्यू, झारखण्ड रांची द्वारा बोर्ड केस लोहरदगा 10/2021 नेजाम खान एवं अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राजस्व प्राधिकार का कर्त्तव्य है कि आदेश के कंडिका 3 (ii), 4 एवं 5 में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के नियमन rulling के दायरे में निर्णय लें

इस मामले में संयुक्त हिस्सेदारों के नाम से हाल खतियान के

	अन्तिम प्रकाशन खाता 16 होने तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 85 के तहत लगान का निर्धारण संयुक्त रूप से ऑनलाईन पंजी संधारण हुआ है। वर्त्तमान रिभिजनकर्त्ता नजरूल खान के पूर्वज/पिता द्वारा सर्वे प्रक्रिया के समय अलग खाता संधारण हेतु दायर राजस्व वाद संख्या 06/82 एवं 09/82 तथा रिभिजन अपील वाद संख्या 86/85 (कुडू) में उनके प्रतिकूल निर्णय के बावजूद नजरूल खान के पक्ष में 1976 के बंटवारा के आधार पर दाखिल खारीज का निर्णय अंचल अधिकारी, कुडू के द्वारा लिया गया जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। अधिकार अभिलेख में बदलाव सक्षम न्यायालय का क्षेत्राधिकार में है। (3) प्रथम पक्ष का दावा बंटवारा केवाला संख्या 264 दिनांक 23.01. 1976 का उल्लेख किया गया जिसके अनुसार भूमि का निबंधित बंटवारा मोजिम खान वो बीबी आयशा, रमजान खां, इदरिश खां के बीच हुआ है। यह दर्शाता है कि तीनों संयुक्त खाताधारी में से एक फरीक गुलेमान खान के वंशज है। इसमें अन्य हिस्सेदारों की भूमिका/सहमति का उल्लेख नहीं है। इन तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण अपील न्यायालय उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, लोहरदगा के द्वारा दाखिल खारीज अपील वाद संख्या 13/2019–20 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2021 में किया गया है। **<u>निर्णय</u>** उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वर्त्तमान रिभिजन कर्त्ता की ओर से दाखिल लिखित बहस में न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा द्वारा दाखिल खारीज अपील वाद संख्या 13/2019 में दिये गये निर्णय एवं सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा रिभिजन वाद संख्या 10/2021–22 में दिनांक 16.07.2022 में पारित निर्णय के संबंध में कि अधिकार अभिलेख के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् उसमें किसी प्रकार बदलाव राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। साथ ही पूर्व में उपायुक्त न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय लिया जा चुका है। पुनः इस आदेश को Revision उपायुक्त के स्तर से संभव नहीं है। दोनों पक्ष को अपने–अपने दावे के संबंध में सक्षम न्यायलय के शरण में जाना चाहिए।	

अतः इन निरीक्षणों के साथ उक्त वाद का निष्पादन किया जाता है।

आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख अंचल अधिकारी, कुडू एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

Digitally signed by Waghmare Prasad Krishna
Date: 2024.07.05 16:22:53 +05:30
Location: 10.93.49.26